प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दण्डिक अपील क्रमांक 1615/1996

अपीलार्थी : कुलेश्वर प्रसाद गायकवाड़

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

दिनांक **18.10.2012** को निर्णय सुनाए जाने हेतु सुचिबद्ध करें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दण्डिक अपील क्रमांक 1615/1996

अपीलार्थी : कुलेश्वर प्रसाद गायकवाड़

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

उपस्थित : अपीलार्थी की ओर से : श्री एल्बन टोप्पो, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से : श्री भास्कर पायशी, पैनल अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(आज दिनांक 18.10.2012 को उदघोषित)

1. इस अपील के माध्यम से अपीलार्थी ने रायपुर के विशेष न्यायाधीश द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 14 / 1993 में दिनांक 18.09.1996 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश की वैधता, औचित्य और शुद्धता को चुनौती देता है, जिसके तहत अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 7 और 13(1)(घ) के साथ धारा 13(2) के तहत

अपराध का दोषी ठहराया गया है और उसे अधिनियम की धारा 7 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने का दंड दिया गया है, जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने का दंड दिया गया है, जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास । दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मामले के अभिलेखों और विचारण न्यायालय के निर्णय से अभियोजन पक्ष का मामला यह सामने आया है कि शिकायतकर्ता लखनु राम (अ.सा. क्रमांक 6) ने अपनी पत्नी के नाम पर ऋण आवेदन पत्र अपीलार्थी से भरवाया और तैयार करवाया, जिसके लिए अपीलार्थी ने रिश्वत के तौर पर 150 रुपये लिए थे । ऋण स्वीकृत होने और ऋण के तहत खरीदी गई मशीन प्राप्त होने के बाद, जब अपीलार्थी ने फिर से 200 रुपये की मांग की, तो शिकायतकर्ता लखनु राम (अ.सा. क्रमांक 6) ने शकील को सूचित किया, जिसने बदले में लोकायुक्त अधिकारियों को सूचना दी और कहा जाता है कि शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज की गई, जिसके बाद जाल बिछाया गया । ट्रैप की प्रारंभिक पंचनामा तैयार की गई, जिसमें शिकायतकर्ता और पंच गवाहों की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट

विलयन के साथ फिनोलफथेलिन की रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रदर्शन की कार्यवाही दर्ज की गई । अभियोजन पक्ष के अनुसार, ट्रैप के समय शिकायतकर्ता को 100 रुपये के दो नोट फिनोलफथेलिन से सने हुए दिए गए थे, जिन्हें अपीलार्थी को सौंपना था । आगे अभियोजन पक्ष का कहना है कि इसके बाद ट्रैप की योजना बनाई गई और शिकायतकर्ता ने पाउडर लगा हुआ पैसा दिया, जिसे अपीलार्थी ने स्वीकार कर लिया । इसके तुरंत बाद, मौके पर ही ट्रैप दल पहुँची और अपीलार्थी के कब्जे से पाउडर लगा हुआ नोट बरामद किया गया । गवाहों की उपस्थिति में करेंसी नोट जब्त किए गए । अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और गवाहों के हाथ धोए गए । जब्त किए गए करेंसी नोट और हाथ धोने के लिए एकत्रित किए गए नमूनों को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (संक्षेप में, "एफएसएल") भेजा गया । सामान्य जांच के बाद, अभियोजन की मंजूरी प्राप्त की गई । अभियोग पत्र दाखिल होने पर, अपीलार्थी के खिलाफ अधिनियम की धारा 7, 13(1)(घ) और धारा 13(2) के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए आरोप विरचित किया गया । अपीलार्थी ने अपराध स्वीकार नहीं किया और उस पर विचारण चलाया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों का परिक्षण कराया, जिनके नाम हैं: लखन लाल मतियारा (अ.सा. 1), सुंदर लाल

यदु (अ.सा. 2), पी.जी. गोस्वामी (अ.सा. 3), डी.एन. बिले (अ.सा. 4), एस. इंचुरकर (अ.सा. 5), लखनु राम (अ.सा. 6), भरत लाल अवधिया (अ.सा. 7), आनंद दीवान (अ.सा. 8), ईश्वर लाल (अ.सा. 9), सी.के. तिवारी (अ.सा. 10), जीवन भालेकर (अ.सा. 11), मणिराम सिन्हा (अ.सा. 12), एम.के. जोशी (अ.सा. 13), शकील लोहानी (अ.सा. 14) और एम.जी. पांडे (अ.सा. 15) । अपीलार्थी का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके विरुद्ध मौजूद आपात्तिजनक परिस्थितियों और साक्ष्यों के संबंध में परीक्षा की गई । उसके अनुसार, उसे झूठा फंसाया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. साक्ष्य पर भरोसा करते हुए और अपीलार्थी के बचाव को खारिज करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7 और 13(1) (घ) / 13(2) के तहत अपराध कारित करने का दोषी ठहराया और ऊपर वर्णित दंड का आदेश दिया ।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और दंड के आदेश की वैधता और सत्यता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है । उनका कहना है कि एकमात्र आरोप यह है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को आवेदन पत्र भरवाने में मदद की थी

और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि ऋण स्वीकृत करने के लिए सक्षम होने के बावजूद, अपीलार्थी ने अपने आधिकारिक कार्य के हिस्से के रूप में ऋण स्वीकृत करने के उद्देश्य से रिश्वत की मांग की थी । इसलिए, इस मामले में अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । आगे यह निवेदन किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत में गंभीर विरोधाभास है । शिकायतकर्ता का बयान अत्यंत विरोधाभासी है और पंच गवाहों लखन लाल मतियारा (अ.सा. 1) और पी. जी. गोस्वामी (अ.सा. 3) के बयानों से मेल नहीं खाता । यह भी तर्क दिया गया है कि शिकायत तैयार करने का तरीका और वह स्थान जहां इसे तैयार किया गया था, अपीलार्थी और शकील (अ.सा. 14) द्वारा बताए गए विवरण से भिन्न हैं । विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज कराने नहीं गया था, बल्कि शकील के घर गया था, जो सतर्कता कार्यालय के साथ लगातार संपर्क में था और सतर्कता के लिए मामले तैयार करता रहा है, उसने एक झूठी शिकायत तैयार की । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत है, क्योंकि करेंसी नोटों के मूल्यवर्ग और संख्या के संबंध में गंभीर विरोधाभास हैं और शिकायतकर्ता, अभियोजन पक्ष के गवाहों और पंच गवाहों के अलग-अलग बयान साक्ष्य में दिए गए हैं, जिससे अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी अत्यधिक संदिग्ध और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि के लिए असुरक्षित हो जाती है । अंत में, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता लखनु राम, अ.सा. 6 के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि उसने रिश्वत की पेशकश की थी और अपीलार्थी ने उसे स्वीकार किया था, बल्कि इसके विपरीत, वह कहता है कि अपीलार्थी ने इसका विरोध किया था । रिश्वत स्वीकार करने की कहानी सिद्ध नहीं हुई है और इसलिए, इन परिस्थितियों में तथाकथित पाउडर लगे नोट की बरामदगी को अपीलार्थी को दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता है । बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य और सी. एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलम्ब लिया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश का समर्थन करते हुए, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता लखनु राम (अ.सा. 6) द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी और उन्होंने अपीलार्थी द्वारा की गई मांग का उल्लेख न केवल अपनी शिकायत में बल्कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों में भी किया है, जो विश्वसनीय और प्रामाणिक हैं । उन्होंने आगे तर्क दिया कि मांग की कहानी शकील (अ.सा. 14) के साक्ष्यों से समर्थित है और मांग की स्वतंत्र पुष्टि भी मौजूद है । आगे यह तर्क दिया गया है कि जिस

कार्य के लिए धन की मांग की गई थी, वह ग्राम सेवक के रूप में अपीलार्थी के पदीय कर्तव्य से संबंधित था और शिकायतकर्ता की पत्नी के नाम पर ऋण देने के लिए मामला तैयार करते समय, अपीलार्थी ने पहले 150 रुपये की रिश्वत ली और उसके बाद फिर से 200 रुपये की मांग की । आगे यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता और अन्य पंच गवाहों के साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई रिश्वत की राशि अपीलार्थी द्वारा स्वीकार की गई और जेब में रखी गई, जिसे बरामद कर लिया गया । उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिश्वत स्वीकार करने और बरामद होने की कहानी एफएसएल के प्रतिवेदन से पूरी तरह से पुष्ट होती है, जिसमें न केवल अपीलार्थी के हाथ धोने के पानी में, बल्कि उसके रूमाल और उसकी पूरी पैंट की जेब के पानी में भी फिनोलफथेलिन की उपस्थिति दिखाई देती है । इससे पता चलता है कि पैसा स्वीकार कर लिया गया था और जेब में रख लिया गया था । ट्रैप के उद्देश्य से इस्तेमाल किए गए करेंसी नोटों की विसंगतियों के संबंध में, विद्वान शास्कीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि साक्ष्य लगभग 10 वर्ष बाद दर्ज किया गया था और यह एक मामूली विसंगति है और केवल इसी आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्क पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है ।

8. रिश्वत देने वाले व्यक्ति की स्थिति और शास्कीय कर्मचारी को आलिप्त करने वाले उसके साक्ष्यों का आकलन करते समय आवश्यक सावधानी की जांच सर्वोच्च न्यायालय ने एम. ओ. शमसुद्दीन बनाम केरल राज्य (1995) 3 एससीसी 351 के मामले में अपने पश्चातवर्ती निर्णय में किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि :-

"12. अब रिश्वतखोरी के मामले पर विचार करते हुए, यह सर्वमान्य है कि किसी लोक अधिकारी को रिश्वत देने वाला व्यक्ति अवैध रिश्वत लेने के अपराध में सह-अपराधी की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसे मामले में आवश्यक प्रमाणों के लिए वही कठोर परीक्षण नहीं किए जाने चाहिए जो किसी मुखबिर के मामले में लागू होते हैं । यद्यपि रिश्वत देने वालों को सामान्यतः सह-अपराधी माना जाता है, परन्तु उनमें भी विभिन्न प्रकार और श्रेणियां होती हैं । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों में, शिकायतकर्ता तकनीकी और विधिक रूप से रिश्वत देने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि हर ट्रैप मामले में, जहां भी शिकायत दर्ज की जाती है, एक व्यक्ति को आरोपी को धन देना होता है, जो वास्तव में मांगी गई रिश्वत की राशि होती है, और ऐसे धन के बिना ट्रैप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सफल नहीं हो सकती । जब कोई लोक सेवक किसी अनिच्छुक व्यक्ति से ऐसी मांग करता है और जनहित में अधिकारियों के पास जाकर शिकायत दर्ज कराता है, तो ट्रैप को सफल बनाने के लिए उसे धन देना ही पड़ता है । एक अन्य प्रकार का रिश्वत देने वाला भी हो सकता है जो अपना काम करवाने के लिए हमेशा पैसे देने को तैयार रहता है और काम हो जाने पर शिकायत दर्ज करा देता है । ऐसे मामलों में वह अपराध में भागीदार होता है और इस प्रकार सह-अपराधी कहलाता है । इस प्रकार, सह-अपराधियों के भी कई स्तर होते हैं, इसलिए उन मामलों में अंतर किया जा सकता है जहां कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रिश्वत देता है और जहां उसे नुकसान या हानि की धमकी के तहत, अर्थात् दबाव में रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है । इस श्रेणी में आने वाला व्यक्ति, जो ट्रैप में भागीदार बनता है, एक अलग स्थिति में होता है क्योंकि वह केवल उस धमकी या दबाव का शिकार होता है जिसका उसे शिकार बनाया गया था । यदि ऐसे गवाह रिश्वत देने के कारण 'सहयोगी' की श्रेणी में आते हैं, तो न्यायालय को सर्वप्रथम मिलीभगत की सीमा पर विचार करना होता है और फिर विवेक के नियम के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पुष्टि की तलाश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करनी होती है । किसी मामले में आवश्यक पुष्टि की सीमा और प्रकृति तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है ।"

अतः, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और न्यायालय को संलिप्तता की सीमा पर विचार करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर विवेकपूर्ण तरीके से पुष्टि के लिए साक्ष्य तलाशना चाहिए । किसी मामले में आवश्यक पुष्टि की सीमा और प्रकृति, तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकती है । इसलिए, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जांच करना आवश्यक है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मांग, स्वीकृति और वसूली को साबित करने में सक्षम रहा है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पन्नालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1979 एस. सी. 1191 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य की पुष्टि महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए । भारतीय दंड संहिता

की धारा 165-क के लागू होने के बाद, जो रिश्वत देने वाले व्यक्ति को रिश्वतखोरी में सहायता करने का दोषी बनाती है, शिकायतकर्ता को सह-अपराधी से बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है और आरोपी को अपराध से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि पर जोर दिया जाना चाहिए ।

10. वर्तमान मामले में, एक और परिस्थिति है जिसके कारण अभियोजन पक्ष द्वारा रिश्वत की मांग के संबंध में सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है । यदि शिकायत (प्रदर्श पी-1) को देखा जाए, तो उसमें केवल इतना ही कहा गया है कि शिकायतकर्ता से अपीलार्थी ने उसकी पत्नी के नाम पर मशीन खरीदने के लिए ऋण देने के संबंध में संपर्क किया था । अपीलार्थी की कथित भूमिका केवल आवेदन पत्र भरने की है और शिकायत में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने 150 रुपये का भुगतान किया था । यह मामला ऐसा नहीं है कि रिश्वत की मांग किए जाने पर शिकायतकर्ता ने तुरंत कोई शिकायत दर्ज कराई हो । शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने अपना काम करवाने के लिए 150 रुपये का भुगतान किया था । इसलिए, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, शिकायतकर्ता के साक्ष्य की जांच सह-अपराधी मानकर की जानी चाहिए । इसके अलावा, मांग की कहानी की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि काम पूरा होने के बाद, अर्थात् ऋण स्वीकृत होने और मशीन प्राप्त होने के बाद, यह कहा जाता है कि 200 रुपये की अतिरिक्त मांग की गई थी, जो कुछ असामान्य है, क्योंकि शिकायतकर्ता का यह मामला नहीं है कि ऐसा कोई सौदा हुआ था कि पहले 150 रुपये दिए जाएंगे और ऋण स्वीकृत होने के बाद 200 रुपये दिए जाएंगे ।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता कि अपीलार्थी मशीन की खरीद के लिए ऋण स्वीकृत करने के लिए सक्षम था या शिकायतकर्ता की पत्नी द्वारा मशीन की खरीद के लिए ऋण दिए जाने के मामले में अपीलार्थी की कोई भूमिका थी, चाहे वह अग्रेषित करने वाले, अनुशंसा करने वाले या प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी के रूप में हो । दिलचस्प बात यह है कि शिकायत में केवल इतना ही कहा गया है कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र भरा था । सहकारी विस्तार अधिकारी एम. के. जोशी, अ.सा. 13 ने बताया है कि ऋण आवेदन अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में जमा किया गया था । यह आवेदन शिकायतकर्ता की पत्नी से संबंधित है । उनके अनुसार, ऋण आवेदन बैंक को अग्रेषित किया गया था । हालांकि, अपने साक्ष्य में उन्होंने यह नहीं कहा है कि ऋण देने की योजना के तहत,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऋण आवेदन को ग्राम विस्तार अधिकारी के रूप में अपीलार्थी द्वारा अग्रेषित या अनुशंसित किया जाना आवश्यक है या किसी भी तरह से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है । शिकायतकर्ता (अ.सा. 6) की पत्नी शकुंतला के नाम से प्रस्तुत ऋण आवेदन (प्रदर्श पी-12) के अवलोकन से पता चलता है कि ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई है और बैंक प्रबंधक द्वारा स्वीकृत की गई है । इसमें अपीलार्थी की कोई अनुशंसा नहीं है, हालांकि इसमें यह दर्ज है कि अपीलार्थी ने आवेदन तैयार किया है । अपने साक्ष्य में, शिकायतकर्ता लखनु राम (अ.सा. 6) ने कहा है कि फॉर्म अपीलार्थी के माध्यम से भरवाया गया था । उन्होंने यह नहीं कहा कि अपीलार्थी ने केवल उनका आवेदन अग्रेषित करने या प्रस्तुत करने के लिए रिश्वत की मांग की थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. शिकायतकर्ता लखनु राम, अ.सा. संख्या 6 ने बयान दिया है कि उन्होंने शकील को 200 रुपये की मांग के बारे में सूचित किया था, जिसके बाद शकील ने लोकायुक्त अधिकारियों को सूचना दी, जो महासमुंद आए और शिकायतकर्ता को बुलाया गया, जहां उन्होंने अपना विवरण दिया और शिकायत (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत की । अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 4 में, उन्होंने रायपुर में शिकायत प्रस्तुत करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है । शिकायतकर्ता ने इस बात से इनकार किया कि वह शकील के साथ गए थे

और रायपुर में शिकायत लिखी गई थी । उन्होंने सतर्कता अधिकारियों के साथ रायपुर से महासमुंद लौटने से भी स्पष्ट रूप से इनकार किया है । इसलिए, शिकायतकर्ता के अनुसार, वह कभी लोकायुक्त कार्यालय नहीं गए और न ही वहां कोई शिकायत प्रस्तुत की । अपने प्रतिपरीक्षण के तीसरे कण्डिका में उन्होंने कहा है कि शकील ने उन्हें उनके घर बुलाया था, जहां लोकायुक्त अधिकारी बैठे थे । उन्होंने शिकायतकर्ता से लिखित शिकायत देने को कहा, जिसके बाद उन्होंने शकील के कहने पर शिकायत (प्रदर्श पी-1) तैयार की । इस प्रकार, शिकायतकर्ता के अनुसार, शिकायत शकील के कहने पर ही तैयार की गई थी, वह भी शकील के घर में, जहां उन्हें बुलाया गया था और उस समय लोकायुक्त अधिकारी पहले से ही वहां बैठे थे । इस प्रकार, साक्ष्य से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने कभी भी सतर्कता कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए नहीं गए, बल्कि उन्हें शकील के कहने पर उनके घर में शिकायत लिखने को कहा गया था, जहां लोकायुक्त अधिकारी पहले से ही बैठे थे । हालांकि, दो पंच गवाहों के बयान से अभियोजन पक्ष का मामला अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है । लखन लाल मतियारा, अ.सा. 1 ने अपने साक्ष्य के पहले कण्डिका में बयान दिया कि उन्हें लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा बुलाया गया था, जहां शिकायतकर्ता उपस्थित था । उन्हें शिकायतकर्ता से मिलवाया गया और शिकायत की एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रति पढ़ने के लिए दी गई, जिसे पढ़कर उन्हें पता चला कि अपीलार्थी ऋण स्वीकृत करने के बदले रिश्वत मांग रहा है । अपने प्रतिपरीक्षण के छठे कण्डिका में उन्होंने दोहराया कि शिकायत, प्रदर्श पी-1, शिकायतकर्ता द्वारा रायपुर स्थित लोकायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसे उन्होंने पढ़ा और हस्ताक्षर किए । दूसरे पंच गवाह पी. जी. गोस्वामी, अ.सा. 1 ने भी अपने साक्ष्य के पहले कण्डिका में बयान दिया कि उन्हें सतर्कता कार्यालय में बुलाया गया था, जहां शिकायतकर्ता उपस्थित था और उन्होंने शिकायत पढ़ी और हस्ताक्षर किए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार, शिकायतकर्ता का कहना है कि वह कभी सतर्कता कार्यालय नहीं गया और न ही वहाँ कोई शिकायत दर्ज कराई, जबकि पंच गवाहों ने पूरी तरह विरोधाभासी बयान दिया है कि शिकायतकर्ता सतर्कता कार्यालय में उपस्थित था और उसने अपनी शिकायत की पुष्टि की थी । पंच गवाह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं हैं और उनके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता । शिकायतकर्ता लखनु राम ने बयान दिया कि उसने शिकायत (प्रदर्श पी-1) शकील द्वारा बताए अनुसार लिखी थी । शकील (अ.सा. 14) इस बात का समर्थन नहीं करता है । उसने अपने बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि शिकायतकर्ता ने उसके घर पर कोई शिकायत तैयार की थी, जहाँ शिकायतकर्ता को बुलाया गया था । उन्होंने इस बात

से साफ इनकार किया कि उन्होंने लखनु को शिकायत तैयार करने के लिए निर्देश दिए थे । शकील ने बयान दिया कि वह उस कमरे में मौजूद नहीं थे । इसलिए, शकील के अनुसार, उनकी उपस्थिति में कोई शिकायत तैयार नहीं की गई थी । आवेदन तैयार करने और जमा करने के संबंध में अभियोजन पक्ष का मामला अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है, खासकर तब जब शकील ने अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 4 और 6 में कहा था कि वह सतर्कता के 4-5 मामलों में गवाह बन चुके हैं और इससे पहले 4 मौकों पर उनके घर पर इसी तरह की कार्यवाही की गई थी और वह पुलिस लोकायुक्त से 6-7 बार मिल चुके हैं और अधिकारी मदन गोपाल 4 बार उनके घर आए थे । इससे स्पष्ट होता है कि शकील लोकायुक्त अधिकारियों के लगातार संपर्क में है । अभिलेख में मौजूद सबूतों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता लोकायुक्त कार्यालय नहीं गया, बल्कि शकील ने उसे अपने घर बुलाया, जहाँ लोकायुक्त अधिकारी पहले से ही मौजूद थे । इससे अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी संदिग्ध हो जाती है । चूंकि शकील (अ.सा. 14) मुख्य गवाह है, जो लोकायुक्त अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और सबूतों से पता चलता है कि उसने शिकायतकर्ता को अपने घर बुलाया था, इसलिए शकील (अ.सा. 14) के साक्ष्य के आधार पर मांग की कहानी की पुष्टि करना उचित नहीं होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. एक और स्पष्ट विसंगति है, जो अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा करती है । शिकायतकर्ता लखनु राम (अ.सा. 6) के अनुसार, उन्होंने लोकायुक्त अधिकारियों को 50 रुपये के चार नोट दिए थे, जिन पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगा हुआ था और उन्होंने ये नोट अपीलार्थी को देने के लिए अपनी जेब में रखे थे । आरक्षक ईश्वर लाल (अ.सा. 9) ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि शिकायतकर्ता लखनु राम ने 50 रुपये के चार नोट पेश किए थे, जिन पर फिनोलफथेलिन लगा हुआ था और उन्होंने ये नोट शिकायतकर्ता की जेब में रखे थे । निरीक्षक सी.के. तिवारी (अ.सा. 10) ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि शिकायतकर्ता लखनु राम ने 50 रुपये के चार नोट पेश किए थे, जिन पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगा हुआ था और उन्होंने ये नोट अपनी जेब में रखे थे । हालांकि, ट्रैप से पहले के पंचनामा (प्रदर्श पी-2) की जांच करने पर शिकायतकर्ता द्वारा 100 रुपये के दो नोट प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख मिलता है । इसमें यह भी दर्ज है कि 100 रुपये के दो नोटों पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगाया गया था और उन्हें अपीलार्थी को देने के लिए शिकायतकर्ता की जेब में रखा गया था । दो पंच गवाहों, लखन लाल मतियारा (अ.सा. 1) और पी.जी. गोस्वामी (अ.सा. 3) ने भी कहा है कि शिकायतकर्ता ने ट्रैप के लिए 100 रुपये के दो नोट प्रस्तुत किए थे । उनके अनुसार भी, उन 100 रुपये के दो नोटों पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

फिनोलफथेलिन पाउडर लगाया गया था, जिससे अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है । शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के दो गवाहों (जिनमें से एक पर फिनोलफथेलिन लगाने का आरोप है) के अनुसार, यह स्पष्ट है कि जाल बिछाने के उद्देश्य से 50 रुपये के चार नोट पेश किए गए थे, जिन पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगाया गया था और फिर उन्हें शिकायतकर्ता की जेब में अपीलार्थी को देने के लिए रखा गया था । लेकिन, ट्रैप से पहले के पंचनामा में 100 रुपये के दो नोट दिखाए गए हैं । अभियोजन पक्ष का कहना है कि अपीलार्थी के कब्जे से 50 रुपये के वे चार नोट नहीं, बल्कि 100 रुपये के वे दो नोट बरामद हुए थे । इससे अपीलार्थी के खिलाफ बिछाई गई ट्रैप की पूरी कार्यवाही पर गंभीर संदेह पैदा होता है और सतर्कता अधिकारियों द्वारा ट्रैप के मामले में की गई कार्यवाही पर भी गंभीर संदेह उत्पन्न होता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त साक्ष्य और परिस्थितियों को देखते हुए, स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में, विशेष रूप से जब शिकायतकर्ता के बयान का समर्थन स्वतंत्र पंच गवाहों द्वारा नहीं किया जाता है और शिकायत तैयार करने के स्थान और ट्रैप के लिए इस्तेमाल किए गए करेंसी नोटों से संबंधित अधिकांश

महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर विरोधाभास है, तो मांग की कहानी को स्वीकार करना पूरी तरह से असुरक्षित होगा ।

16. रिश्वत लेने के संबंध में, शिकायतकर्ता (अ.सा. 6) ने अपनी प्रतिपरीक्षण के तीसरे कण्डिका में अभिसाक्ष्य दिया है कि जैसे ही वह अपीलार्थी को रिश्वत देने वाला था, अपीलार्थी ने उसके हाथ पकड़ लिए और इसी समय सतर्कता अधिकारी आए और अपीलार्थी को पकड़ लिया । इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि जब उसने पैसे दिए तो अपीलार्थी ने उन्हें स्वीकार कर अपनी जेब में रख लिया । इसके विपरीत, उसके बयान से पता चलता है कि जब उसने पैसे देने की कोशिश की तो अपीलार्थी ने उसके हाथ पकड़कर विरोध किया । इसलिए, यह कहना बेहद संदिग्ध है कि अपीलार्थी ने पैसे स्वीकार किए थे या नहीं । शिकायतकर्ता ने जिस प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया है उसस केवल यह साबित होता है कि अपीलार्थी ने विरोध किया था । इसके विपरीत, पंच गवाहों, लखन लाल मटियारा (अ.सा. 1) और पी. जी. गोस्वामी (अ.सा. 3) ने दावा किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को अपीलार्थी को पैसे देते हुए देखा था । हालांकि, उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि अपीलार्थी ने पैसे स्वीकार किए और अपनी जेब में रखे । इन पंच गवाहों के अनुसार, वे पास ही खड़े थे और पूरी घटना के साक्षी थे । मौका नक्शा, प्रदर्श पी-15, मणिराम सिन्हा (अ.सा. 12) द्वारा गवाहों लखन लाल मटियारा (अ.सा.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1), पी. जी. गोस्वामी (अ.सा. 3) और लखनु राम (अ.सा. 6) के निर्देशों पर तैयार किया गया था, जिससे पता चलता है कि मटियारा शिकायतकर्ता से 5 फीट और गोस्वामी 12 फीट दूर खड़े थे । लखन लाल मटियारा (अ.सा. 1) के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच रिश्वत की मांग और स्वीकृति से संबंधित कोई बातचीत सुनी थी । लखन लाल मतियारा, अ.सा. 1, का दावा है कि वह केवल 5 से 10 फीट की दूरी पर खड़ा था, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच कोई बातचीत नहीं सुनी । दूसरे स्वतंत्र पंच गवाह, पी. जी. गोस्वामी, अ.सा. 3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 4 में अभिसाक्ष्य दिया कि रिश्वत की रकम उनकी मौजूदगी में नहीं दी गई थी और उन्होंने अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच कोई बातचीत नहीं सुनी थी । सी. के. तिवारी, अ.सा. 10 भी उस जगह पर रिश्वत की मांग और स्वीकृति के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करते हैं जहां ट्रैप किया गया था । जीवन भालेकर, अ.सा. 11 एक पुलिस गवाह हैं और हालांकि उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि रिश्वत की रकम शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को दी गई थी और उसे स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन शिकायतकर्ता स्वयं ऐसा नहीं कहता है । इसके अलावा, घटनास्थल के नक्शे (प्रदर्श पी-15) के अनुसार, वह उस स्थान से काफी दूर खड़े थे, जहां दो पंच गवाह लखन लाल मतियारा, अ.सा. 1 और पी. जी. गोस्वामी, अ.सा. 3 खड़े थे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी द्वारा रिश्वत स्वीकार करने का कोई पुख्ता और विश्वसनीय सबूत नहीं है । इस पृष्ठभूमि में कि शिकायतकर्ता - लखनु राम (अ.सा. 6), ईश्वर लाल (अ.सा. 9) और सी. के. तिवारी (अ.सा. 10) ने ट्रैप के उद्देश्य से 50 रुपये के चार नोट प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख किया है, जो पंच गवाहों लखन लाल मतियारा (अ.सा. 1) और पी. जी. गोस्वामी (अ.सा. 3) के साक्ष्य के विपरीत है, और ट्रैप से पहले और ट्रैप के बाद के पंचनामा, दोनों के अभिलेख में 100 रुपये के दो नोटों की प्रस्तुति और फिर बरामदगी का उल्लेख है, इसलिए पाउडर लगे नोटों की बरामदगी की कहानी भी संदिग्ध हो जाती है । शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने चार करेंसी नोट पेश किए थे और उन चारों नोटों पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगा हुआ था, जिसे उसने अपीलार्थी को देने के लिए अपनी जेब में रखा था । हालांकि, ज़ब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी-3) और ज़ब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी-5) से पता चलता है कि अपीलार्थी से जब्त की गई वस्तुओं में 100 रुपये का एक करेंसी नोट, 50 रुपये के दो करेंसी नोट, 20 रुपये का एक-एक करेंसी नोट और 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के अन्य करेंसी नोट और सिक्के शामिल थे । अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, प्रदर्श पी-3 द्वारा जब्त की गई पाउडर लगा धनराशि, जिसकी संख्या ट्रैप पूर्व पंचनामा में दर्ज है, इस प्रकार लखनु राम द्वारा ट्रैप के लिए प्रस्तुत की गई धनराशि 50 रुपये के चार नोट थे, जिन पर निरीक्षक ईश्वर लाल (अ.सा. 9) द्वारा फिनोलफथेलिन पाउडर लगाया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया था, जिसका समर्थन सी.के. तिवारी के साक्ष्य से होता है, जबकि ट्रैप पूर्व पंचनामा में 100 रुपये के दो नोटों का उपयोग ट्रैप के उद्देश्य से किया गया बताया गया है और पंचनामा में दर्ज है कि ये नोट शिकायतकर्ता लखनु राम द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिन पर फिनोलफथेलिन का लेप किया गया था । अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी के कब्जे से 100 रुपये के दो नोट बरामद किए गए थे । इन परिस्थितियों में, बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही अत्यधिक संदिग्ध हो जाता है । वैसे भी, नोटों की बरामदगी मात्र, उन परिस्थितियों से अलग जिनमें वह बरामद की गई थी, अपने आप में आरोपित अपराधों को साबित करने का आधार नहीं बन सकती, विशेषकर तब जब मांग और स्वीकृति सिद्ध न हुई हो । सर्वोच्च न्यायालय ने बनारसी दास और सी. एम. गिरीश बाबू (पुरवोक्त) के मामलों में इस विधिक सिद्धांत को दोहराया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये, दोषसिद्धि और दंड का अक्षेपित निर्णय विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे रिश्वत की मांग और स्वीकृति को साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए ।

18. परिणामस्वरूप, मैं विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हूं और इसे अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । चूंकि अपीलार्थी पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है । जमानत बंध पत्र उन्मोचित किया जाता है । अपील को स्वीकार किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By MS. SAKSHI BALI, ADV.